बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० ~~9473191199~~, 9431479774
9431818346

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजचन्द वार्डियार
* अखिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 36 दिनांक 29/05/13

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार, पटना ।

विषय :- बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रवेशन (Induction) के द्वारा नियुक्ति नियम 2013 के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में राज्य असैनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति की प्रक्रिया भा०प्र०से० प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति नियम 1997 के द्वारा वर्तमान में संचालित होती है । भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रवेशन (Induction) के द्वारा नियुक्ति नियम 2013 में उक्त प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए लिखित परीक्षा/साक्षात्कार का प्रावधान किया गया है । उक्त के आलोक में निम्न बिन्दुओं को भवदीय विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है :-

(1) नियमावली, 2013 के प्रवृत होने के पश्चात राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बाध्य होना होगा, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है । इस संदर्भ में उल्लिखित है कि राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों का चयन संवैधानिक संस्था बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाती है । संविधान के अन्तर्गत यह एक स्वायत संस्था है तथा एक गुरूत्तर परीक्षा के माध्यम से यह चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है ।

(2) राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारी प्रशासनिक ढाँचे की रीढ़ होती है । जो पदाधिकारी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयन किये जायेंगे वे इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में होने के कारण राज्य के अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के संपादन करने में कोई रूचि नही लेंगे ।

(3) नियमावली 2013 के चयन प्रक्रिया के लिए जिन मानकों को शामिल किया गया है उनमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की प्रवल संभावना है ।

(4) उक्त नियमावली के प्रारूप के प्रतिपादन के क्रम में राज्य असैनिक सेवा संघ से कोई मंतव्य या परामर्श प्राप्त नहीं किया गया है । यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है ।

(5) 2013 के नियमावली के लागू होने से राज्य असैनिक सेवा के लगभग 50 प्रतिशत पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति से वंचित हो जायेंगे । जो वर्त्तमान प्रावधान के अन्तर्गत योग्य है ।

(6) उक्त नियमावली के लागू होने से राज्य असैनिक सेवा में प्रोन्नति की संभावना कम हो जायेंगे ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
*सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
*सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजयचन्द वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

सत्यमेव जयते

पत्रांक :.............................. दिनांक ....

(7) 2013 के नियमावली के लागू होने से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों का चयन कम होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(8) भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का संयुक्त सचिव से सचिव अथवा प्रधान सचिव के पद पर प्रोन्नति हेतु किसी प्रकार की परीक्षा नहीं है जब कि राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों पर सेवा के मध्य काल के पश्चात् प्रोन्नति का बोझ डाला जा रहा है जो नैसर्गिक न्याय एवं समानता के विरूद्ध है ।

(9) अखिल भारतीय राज्य सिविल सेवा फेडरेशन की दिनांक 26.05.2013 को नई दिल्ली में हुई बैठक में प्राय: सभी राज्यो के सिविल सेवा संघो द्वारा नई नियमावली पर असहमति जतायी गई । इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नई नियमावली पर असहमति जताई गई की प्रति संलग्न की जाती है ।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय गुरूत्तर परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता ,जो नैसर्गिक न्याय एवं समानता के विरूद्ध है, को भवदीय स्तर से विचारण एवं सम्यक रूप से निर्णय लेने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा संघ अनुरोध करती है ।

इस पुनीत कार्य के लिए हम सभी आपका सदा आभारी रहेंगे ।

विश्वासभाजन,

अनु0 :- यथोक्त ।

ह0/-
(सुशील कुमार)
महासचिव

पटना, दिनांक 29/05/13

ज्ञापांक -36

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दु पर विचार करते हुए नई नियमावली पर असहमति देने की कृपा की जाय ।

ह0/-

अनु0 :- यथोक्त ।

(सुशील कुमार)
महासचिव

पटना, दिनांक 29/05/13

ज्ञापांक -36

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दु पर विचार करते हुए नई नियमावली पर असहमति देने की कृपा की जाय ।

ह0/-

अनु0 :- यथोक्त ।

(सुशील कुमार)
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
*सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774
महासचिव,
*सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * रामचन्द्र वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

ज्ञापांक -36 पटना, दिनांक 29/05/13

प्रतिलिपि - संपादक सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव